रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 14, 1989/माघ 25, 1910
No. 71] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 14, 1989/MAGHA 25, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1989

का.आ. 125(अ).—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्द्वारा यह निदेश देते हैं कि उनके नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए तथा अगले आदेशों तक, प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक (चाहे उसे प्रशासक, उप राज्यपाल या मुख्य

प्रायुक्त के नाम से जाना जाता हो,) संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) के अधीन राज्य सरकार की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा कृत्यों का निष्पादन करेगा।

[सं० यू-11030/4/88-यूटीएल]

अशोक नाथ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 1989

S.O. 125 (E):—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that subject to his control and until further orders, the Administrator of every Union territory (whether known as Administrator, Lieutenant Governor or Chief Commissioner) shall, in relation to the Union territory concerned, also exercise all the powers and discharge functions of the State Government under the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988).

[No. U-11030/4/88-UTL

ASHOK NATH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989